रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 6, 2000/पौष 16, 1921
No. 12] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 6, 2000/PAUSA 16, 1921

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2000

का. आ. 23 (अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना संख्या का. आ. 79 (अ) तारीख 3 फरवरी, 1997 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्यांक 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के सामने निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"4. डा. एस. नागराजन,
परियोजना निदेशक,
गेहूं अनुसंधान निदेशालय,
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, करनाल, सदस्य"

डा. एस. नागराजन यह पद तब तक धारित करेंगे जब तक वे केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड के सदस्य का पद धारण करते हैं।

[फा. सं. 19-4/95-पी.पी.-I]

पी. डी. सुधाकर, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण—मूल नियम भारत के राजपत्र में का. आ. सं. 79(अ) दिनांक 3 फरवरी 1997 को प्रकाशित हुए थे और का. आ. सं. 420(अ) दिनांक 30-5-97 तथा का. आ. सं. 71(अ) दिनांक 20-1-98 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 2000

S. O. 23(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation) number S. O. 79(E), dated the 3rd February, 1997, namely :—

In the said notification, against serial number 4 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

"4. Dr. S. Nagarajan.

Project Director,

Directorate of Wheat Research,

Indian Council of Agricultural Research, Karnal. Member"

Dr. S. Nagarajan shall hold office as long as he holds the office of the member, Central Insecticides Board.

[F. No. 19-4/95-PP.I]

P. D. SUDHAKAR, Jt. Secy.

Foot Note :—The Principal notification was published vide No. S. O. 79(E) dated the 3rd February, 1997 and subsequently amended vide

(i) No. S. O. 420(E), dated 30-5-97.

(ii) No. S. O. 71(E), dated 20-1-98.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.